न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर

उनवान नेमीचन्द बनाम फारीश वगैरह

मुकदमा नं. दावा 105/2013

18/2/20	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी व वादी स्वयं को बार-बार आवाज दिलवाई गई लेकिन नामालूम तरह उपस्थित नहीं आये। अतः दावा वादी अब्दुल फरवीज व अब्दुल हादी में वापिस लिया जाता है। पत्रावली फाइल दफ्तर होकर बाद कार्यवाही आखिर इखराज हो।	

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

निर्णय आज दिनांक 18/2/20 को सरे इजलास प्रकाश गया।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर